

पीठासीन अधिकारी :- शैलेश सुराणा (RAS)

उनवान

श्री हुरमा पिता स्व. फुला भील वगैरहा,
तहसील माण्डवाफला कागदर,
तहसील ऋषभदेव

बनाम

श्री नाथू पिता स्व. फुला भील वगैरहा,
निवासी माण्डवाफला कागदर,
तहसील ऋषभदेव

यह वाद :- धारा 188, RT ACT 1955

सूचना नम्बर :-237 / 2015 रा.वा.

निर्णय दिनांक :-22.06.2016

वादीगण की ओर से श्री हुरमा वगैरहा की व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.06.2016 को शैलेश सुराणा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - वादीगण का यह विचारणीय वाद पोषणीय नहीं पाया गया है। वादीगण अपने दावे को सिद्ध नहीं कर पाये हैं। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद न्यायोचित नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 22.06.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

WS
22/06/16

(शैलेश सुराणा)
(पीठासीन अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
ऋषभदेव

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	4.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	1.00	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल	4.00		
जोड	09.00	जोड	00

संभाल